न्यायालय भरण–पोषण कल्याण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्याः– 9/2023 पीठासीन अधिकारीः–**रमेश देव** आर.ए.एस.

1 रानीदेवी पत्नी धर्मपाल जाति धानका निवासी वार्ड न. 02 संगरिया पीएस संगरिया
प्रार्थिया

बनाम्

1 विक्की पुत्र धर्मपाल जाति धानका निवासी वार्ड नं. 02 संगरिया पीएस संगरिया।
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम की धारा 5 (1) (क) और (ख) के अधीन भरण–पोषण आवेदन

उपस्थित :–

1 श्री सुरेन्द्र सिंह सूच– प्रार्थिया
2 श्री मनीराम सहू – अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 26/06/2023

प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार से है कि से है कि प्रार्थीया वार्ड 03 संगरिया की रहने वाली वृद्धा है। वृद्धावस्था होने के कारण प्रायः बीमार रहती है। प्रार्थीया के दो पुत्र है प्रार्थीया का छोटा पुत्र विक्रम विकलांग व अविवाहित है तथा अप्रार्थी शादीशुदा है। प्रार्थीया के पति श्री धर्मपाल की मृत्यु हो चुकी है पति की मृत्यु उपरांत प्रार्थीया अकेली रह गई है।

यह है कि प्रार्थीया के पुत्र अप्रार्थी ने प्रार्थीया को कहा कि वह अपनी वृद्ध माता का पूर्ण भरण–पोषण करेगा तथा भाई–बहिनों के साथ सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करेगा।

यह है कि अप्रार्थी सरकारी अध्यापक है। अप्रार्थी शुरू–शुरू में तो प्रार्थीया की सेवा चाकरी करता रहा लेकिन अप्रार्थी की शादी होने के बाद में अप्रार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा तथा अप्रार्थी व अप्रार्थी की पत्नी पूजारानी भी प्रार्थीया के साथ घृणा करने लगे है। तथा प्रार्थीया के साथ क्रुरतापूर्वक व्यवहार करने लगा तथा कई बार प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा भी किया तथा आस पडोस के लोगो ने आकर प्रार्थीया व अप्रार्थी को समझाया लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा कि मैनें प्रार्थीया के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखना क्योकिं प्रार्थीया अक्सर बीमार रहती है मैं उसकी सेवा चाकरी नहीं कर सकता।

अप्रार्थी व उसकी पत्नी पूजारानी भी प्रार्थीया के साथ अमानवीय व्यवहार करने लग गया व प्रार्थीया को अक्सर भूखा सोना पडता है। तथा प्रार्थीया बर्तन पोचा कर अपना जीवनयापन करती है।

प्रार्थीया वृद्ध एवं बीमार रहने वाली औरत है प्रार्थीया को अपने व अपने छोटे पुत्र विकम के भरण–पोषण के साथ सामाजिक सारोकार के लिए प्रतिमाह 25000/– अखरे पच्चीस हजार रूप्ये की आवश्यकता है जो दिलवाये जाएं।

प्रार्थना पत्र बाद सिगेदार रिपोर्ट के प्रकरण सं. 09/2023 से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली का अवलोकन व प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अध्ययन मनन किया गया, अधिनियम (Maintenance and Welfare of Parents and

26/6/23

Senior Citizens Act, 2007) के **अध्याय 2** की धारा **4** की निम्न उपधारा से स्पष्ट है कि:-

(1) कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसके अन्तर्गत माता-पिता हैं, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है, -

(3) अपने माता-पिता का भरणपोषण करने की बालक की बाध्यता, यथास्थिति, ऐसे माता-पिता अथवा पिता या माता या दोनों की आवश्यकता तक विस्तारित होती है, जिससे कि ऐसे माता-पिता, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें

आदेश भरण-पोषण

(Maintenance and Welfare of Parents **and Senior Citizens Act, 2007)** के धारा **9** की उपधारा **1** यदि, यथास्थिति, बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, भरणपोषण करने से उपेक्षा या इन्कार करते हैं तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या इन्कार के बारे में समाधान हो जाने पर, ऐसे बालकों या नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने के प्रावधानान्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकरण के आदेश देती है कि:– **अप्रार्थी विक्की पुत्र धर्मपाल जाति धानका निवासी वार्ड सं. 02 संगरिया पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ प्रतिमाह रूपये 10000 (अखरे दस हजार रूपये) बतौर भरण–पोषण (रोटी–कपड़ा–मकान–चिकित्सा पेटे) प्रार्थीया श्रीमती रानी देवी पत्नी धर्मपाल जाति धानका निवासी वार्ड सं. 02 संगरिया को उनके पंजाब नैशनल बैंक खाता सं. 05822191028459 में या प्रार्थीया के चाहे जाने पर नगदी अदायगी करेंगे।।**

निर्णय की प्रति पक्षकारों को सूचनार्थ तथा समाज कल्याण अधिकारी संगरिया/हनुमानगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/06/23 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

26/6/23

(रमेश देव)
भरण–पोषण कल्याण अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक/सम/23/
प्रतिलिपिः–

1 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को भेजकर लेख है कि निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को तामिल करवाया जाना सुनिश्चित करें।
1 थाना अधिकारी संगरिया को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2 समाज कल्याण अधिकारी संगरिया/हनुमानगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3 प्रार्थीया रानी देवी पत्नी धर्मपाल जाति धाणका वार्ड 02 संगरिया।
4 अप्रार्थीगण विक्की पुत्र धर्मपाल जाति धाणका निवासी वार्ड 02 संगरिया

26/6/23

(रमेश देव)
भरण–पोषण कल्याण अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया